न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर जिला चित्तौडगढ

पीठासीन अधिकारी श्री पुनीत कुमार गेलड़ा (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या : 06/2017
दायर दिनांक : 23/03/2017
निर्णय दिनांक : 21/01/2025

उनवान

1. भागीरथ पिता वरदा जाति कालबेलिया, निवासी बबराणा तहसील भूपालसागर **प्रार्थी**

बनाम

1. रामसिंह पिता कालुसिंह राजपूत निवासी बबराणा तहसील भूपालसागर
2. टम्मूबाई बेवा कालुसिंह राजपूत निवासी बबराणा तहसील भूपालसागर
3. सबरजिस्ट्रार, भूपालसागर
4. भूमिधारी तहसीलदार, भूपालसागर **अप्रार्थीगण**

राजस्व प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा–212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थिति : 1. श्री मांगीलाल बैरवा, अधिवक्ता प्रार्थी
2. श्री रतनलाल टांक, अधिवक्ता अप्रार्थी

: : निर्णय : :

वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 212 के प्रस्तुत किया, प्रकरण के तथ्य निम्न प्रकार हैं :

यह कि ग्राम बबराणा तहसील भूपालसागर के हल्के बैरुनी में आ.सं 290 रकबा 0.42 हैक्टयर स्थित है। हाल आराजी नंबर 290 रकबा 0.42 हैक्टयर आराजीयात जो प्रार्थी को हाल आ. नं. 291 रकबा 0.42 हैक्टयर एवं आराजी नं. 2104/291 रकबा 0.02 हैक्टयर आचा की आराजीयात आवंटन हुई उस समय की उक्त आराजीयात की प्रार्थी की आवंटन सुदा आराजीयात है तथा प्रार्थी को वर्ष 1971–1972 में उक्त आराजीयात आवंटन हुई तथा वर्ष 1972 से लेकर आज तक प्रार्थी उक्त आराजीयात पर काबिज होकर काश्त कर रहा है तथा आचा नंबर 2104/291 से उक्त आराजीयात पर काबिज होकर काश्त कर रहा है तथा आचा नंबर 2104/291 से उक्त सिंचित होती है। इस प्रकार प्रार्थी 1972 से लेकर आज दिन तक उक्त आराजीयात पर काबिज होकर काश्त कर रहा है। ,लेकिन राजस्व कर्मचारियों ने गलत तरीके से आराजी सं. 290 अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के खातेदारी में दर्ज कर दी है, लेकिन अप्रार्थी संख्या 1 व 2 का उक्त आराजीयात पर कभी कब्जा नहीं रहा है। प्रार्थी का उक्त आराजीयात पर आवंटन वर्ष 2071–72 से ही कब्जा होकर प्रार्थी के ही कब्जे काश्त की होकर वही उसका उपयोग–उपभोग कर रहा है, जिससे उक्त आराजीयात पर प्रार्थी का ही कब्जा मुखालफाना है। वादगत आराजीयात प्रार्थी की 1971 से आवंटनशुदा आराजीयात है तथा वर्ष 1971 से लेकर आज दिन तक प्रार्थी निरन्तर काबिज होकर काश्त कर रहा है तथा वादगत आराजीयात उबड़–खाबड़ थी जिसके लिए प्रार्थी ने का[illegible] है तथा वादगत आराजीयात पर प्रार्थी का लंबे अरसे से कब्जा है इस कारण [illegible]खालफाना के अनुसार प्रार्थी वादगत आराजीयात के लिए इन्द्राज दुरुस्ती [illegible] घोषणात्मक डिकी अप्रार्थी संख्या 01 व 02 इन्द्राज दुरुस्ती एवं खातेदारी अधिकार की घोषणात्मक डिकी मूल वाद में जारी फरमाई जावे। वर्तमान आ. सं. 290 अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के नाम खातेदारी में दर्ज है

Signature Not Verified
Digitally signed by Punit Kumar Gelra
Date: 2025.03.11 10:06:47 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर

जिससे अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के मन में बदयान्ती आ जाने से अप्रार्थी संख्या 1 व 2 उक्त आराजीयात को रहन, बह, बचान करने की धमकियां देकर खुर्दबुर्द करना चाहते है इसलिए पक्ष पार्थी विरूद्ध अप्रार्थी सं. 1 व 2 अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश जारी फरमाया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावें कि वादगत आराजीयात को अप्रार्थी सं. 1 व 2 किसी अन्य व्यक्ति को बह, बक्षीस, विक्रय , दान, वसीयत नहीं करें, कब्जा नहीं हटावें, कब्जे से बेदखल नहीं करें तथा आराजीयात में काश्त करने में बाधा नहीं पहूंचायें एवं अप्रार्थी सं. 3 वादगत आराजीयात से संबंधित किसी प्रकार का दस्तावेज पंजीयन नही करें एवं अप्रार्थी सं. 4 वादगत आराजीयात के राजस्व रेकार्ड में कोई परिवर्तन नहीं करें ऐसा कृत्य न तो अप्रार्थीगण स्वंय करें और न ही किसी अन्य व्यक्ति नौकर, एजेन्ट, परिवारजन तथा अपने अधीनस्थ कर्मचारीगण से भी नहीं करावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को सम्मन नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 की ओर से वकील श्री रतनलाल टाक ने अधिकार पत्र पेश किया। वकी अप्रार्थी द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं करने से दिनांक 01.05.2024 को जवाब बन्द किया गया। वकील प्रार्थी की बहस एकतरफ सुनी गई, हमने पत्रावली का अवलोकन किया, प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया। वकील प्रार्थी की बहस सुनी जाकर बहस पर मनन किया एवं तथ्यो पर गहनतापूर्वक विचार किया।

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं वकील प्रार्थी की बहस पर मनन के पश्चात प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 212 स्वीकार किया जाता है, अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि मूल वाद के निर्णय तक भूमि की मौके की यथास्थिति कायम रखी जावे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें। निर्णय आज दिनांक 21.01.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(पुनीत कुमार गेलड़ा)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,
भूपालसागर

Signature Not Verified

Digitally signed by Punit Kumar
Gelra
Date: 2025.03.11 10:06:47 IST
Reason: SelfAttested